संक्षिप्त

औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर आयोजित

रतनगढ़, (निसं)। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र चूरू द्वारा स्थानीय पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित युवाओं/उद्यिमयों को उद्यम पंजीयन, प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, आयात-निर्यात कोड और विभिन्न विभागीय योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। शिविर में उद्योग प्रसार अधिकारी जिला उद्योग एवं वाणिज्य उपकेन्द्र सुजानगढ फिरोज भाटी, सहायक प्रशासनिक अधिकरी जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र चूरू श्रीकृष्ण अठावाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी जिला उद्योग एवं वाणिज्य उपकेन्द्र सुजानगढ नानकराम द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया।

पंकज की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान आज

बिसाऊ, (निसं)। निकटवर्ती ठााम विषय सूची पंकज धांगड की प्रथम पुण्यतिथि पर धांगड परिवार द्वारा बिसाऊ के साई अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है मुकेश कुमार धांगड ने बताया कि शुक्रवार 20 मई को प्रात: 9:00 बजे से बिसाऊ के साई अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है इस आयोजन में चूरू के शेखावाटी ब्लड बैंक के डॉक्टरों द्वारा ब्लड डोनेशन का कार्य किया जाएगा इस अवसर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवाओं से अपील की गई है कि अपना रक्तदान करके अपने लोगों का जीवन बचाने के लिए यह पुण्य का कार्य किया जाए इस अवसर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर आयोजन को सफल।

ज्ञापन देकर गोवंश के लिए पानी की खेल बनाने की मांग

सरदारशहर, (निसं)। कामधेनु सेना के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी को ज्ञापन सौपकर गोवंश के लिए खेळ बनाने की मांग की। उन्होंने ज्ञापन में लिखा कि राजवाले कुए पर निराश्रित गोवंश के लिए पानी की खेळ बनाई गई थी। जिसको पार्क के सौन्दर्यकरण के दौरान तौड दी गई। अब आवारा पशु पानी के लिए तडप रहे है। भीषण गर्मी में गोवंश पानी के लिए इधर उधर भटक रहे है। इसलिए तुरंत खेळ बनाकर गोवंश को राहत प्रदान करे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं की समस्या सुनकर ईओ ने शीघ्र खेळ बनाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कामधेनू सेना के मुकेश देरासरी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

चिकित्सा मंत्री से मिले इन्दौरिया

रतनगढ़, (निसं)। युवा नेता निखिल इन्दोरिया गुरुवार को जयपुर में राज्य के स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा से मुलाकात की इस अवसर पर इन्दोरिया ने रतनगढ अस्पताल को जिला अस्पताल बनाये जाने पर आभार व्यक्त करते हुवे अस्पताल की आवश्यकताओं पर चर्चा की व अस्पताल में जो पद रिक्त चल रहे है उन पदों को भरवाने का आग्रह किया। इस पर मंत्री मीणा ने रतनगढ़ अस्पताल में जो भी पद रिक्त चल रहे है उन्हें जल्द भरने का आश्वासन दिया।

नमक उद्यमी मृतक जयपाल पूनियां के शव का हुआ अंतिम संस्कार

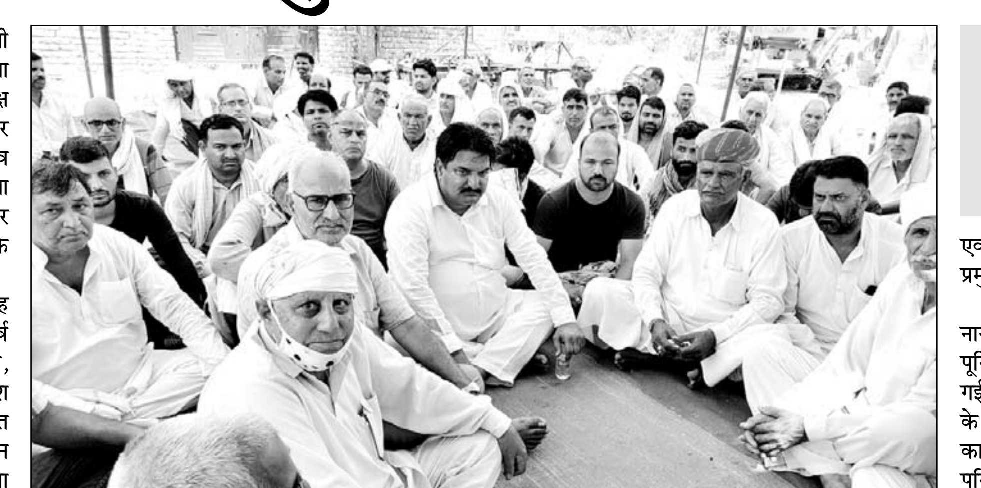

मृतक नमक उद्यमी जयपाल सिंह पूनियां के अंतिम संस्कार से पूर्व गागडवास गाँव में उनके घर में उपस्थित राजनैतिक लोग।

- बड़ी संख्या में नावां नागौर से राजनैतिक लोग भी उनकी शव के साथ गांव गागड़वास पहुंचे

सादुलपुर, (निसं)। नमक व्यवसायी व नमक उत्पादक संघ अध्यक्ष तथा भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष जयपाल पूनिया का पांचवें रोज गुरूवार सुबह 9.30 बजे उनके पतृक गांव गागड़वास में अंतिम संस्कार किया गया। इसमें बड़ी संख्या में नावां नागौर से राजनैतिक लोग भी उनके शव के साथ गांव गागड़वास पहुंचे।

इस दौरान पूर्व सांसद रामसिंह कस्वा, नांवा (नागौर) के पूर्व विधायक विजयसिंह चौधरी, कुचामन के पूर्व विधायक हरीश कुमावत, महेन्द्र सुरतपुरा सहित माँगेराम पूनियां भैंसली, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि धर्मचन्द गोदारा, भाजपा किसान मोर्चा के वेदपाल पूनियां, प्रधान प्रतिनिधि हेमराज पूनियां, पूर्व सैनिक संघ अध्यक्ष उम्मेद सिंह पूनियां, ओम महला, एडवोकेट प्रदीप कस्वा, एडवोकेट विजय सिंह पूनियां व सुरेन्द्र पूनियां आदि प्रमुख लोगों सहित बाढ़ पूनियां संस्थान के पदाधिकारियों नें जयपाल सिंह पूनियां की शव यात्रा में शामिल होकर उन्हें श्रद्धाजंली दी। मृतक जयपाल सिंह पूनियां को उनके 13 वर्षीय पुत्र नारायण पूनियां ने उन्हें मुखाग्नि दी।

इस दौरान राजगढ़ सीआई कृष्ण कुमार बलौदा भी पुलिस सुरक्षा के साथ मौके पर उपस्थित रहे। नावां के पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी ने जयपाल सिंह पूनियां की शव यात्रा में शामिल लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जयपाल सिंह पूनियां हत्याकांड में परिजनों को न्याय दिलाने एवं दोषियों को सजा दिलाने में प्रमुखता से भूमिका निभाई जायेगी।

गौरतलब है कि 14 मई को नावां नागौर में नमक उद्यमी जयपाल सिंह पूनियां की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब से लेकर राजगढ़ तहसील के लोगों में आक्रोश था तथा भाजपा कार्यकर्ताओं, सर्वजातीय राष्ट्रीय पूनिया महापंचायत एवं बाढ पूनिया विकास संस्थान के कार्यकर्तागणों द्वारा जयपाल सिंह पूनियां हत्याकांड प्रकरण में सभी षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तारी के अलावा दिवंगत की पत्नी को सरकारी नौकरी, परिवार को क्षतिपूर्ति राशि 50 लाख रुपये प्रदान करने, मामले की सी.बी.आई. से जांच कराने की मांग की जा चुकी है।

बाढ़ पूनियां विकास संस्थान की बैठक

सादुलपुर, (निसं)। बाढ पूनिया विकास संस्थान की बैठक गुरूवार को हरपालु सांवल गाँव में संस्थान के अध्यक्ष भलेराम पूनिया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। वहीं अध्यापक रामकुमार पूनिया के घर हुई बैठक में प्राचार्य सुरेन्द्र सिंह पूनिया, सुल्तान सिंह, शीशराम बघेला, सूबेदार अमरसिंह बैरासर, राजपाल पूनिया हमीरवास व राजपालसिंह राघा छोटी आदि नें ग्रामीणों को साथ लेकर मृत्यु भोज ना करने, बालिका शिक्षा को बढावा देने, बाल विवाह की रोकथाम तथा जनसहयोग हेतु हरपालु पतराम, हरपालु रामधन, हरपालु कूबडी व हरपालु ताल आदि गाँवों का दौरा कर अलख जगाई व एकजुटता का संदेश प्रसारित किया।

शिविर का निरीक्षण कर पट्टों का वितरण किया

चिड़ावा, (निसं)। प्रशासन शहरों के संग अभियान अन्तर्गत आई.ए.एस. श्री श्याम सिंह राजपुरोहित द्वार नगर पालिका विद्या विहार का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण में आई.ए.एस. श्याम सिंह जी द्वारा नगर पालिका विद्या विहार की अभियान में अर्जित उपलब्धियों के लिये सराहना की गयी। साथ ही अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु पालिका को अधिक से अधिक पट्टे जारी किये जाने हेतु निर्देशित कर प्रोहत्साहित किया गया। साथ ही आई.ए.एस श्री श्याम सिंह जी द्वारा 12 पट्टों का वितरण भी किया गया।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य स्तरीय पर्यावरण निर्धारण प्राधिकरण जिला जयपुर (राजस्थान) के पत्र संख्या F1(4)/SEIAA/SEAC-Raj/Sectt/Project/Cat.1(a)B2 (20167) 2019-20 Jaipur Date 05.05.2022 के द्वारा M/S SHREE RADHEY MINES एम.एल. नं. रेफरैन्स नं. 20211000039597 क्षेत्रफल 1.0673 हैक्टर खनिज मेसेनरी स्टोन निकट ग्राम जगतसिंह नगर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के लिये पर्यावरण स्वीकृति प्रदान कर दी है। उपरोक्त स्वीकृति पत्र की प्रति राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल कार्यालय में जनसाधारण के देखने के लिए उपलब्ध है एवं राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल की वेबसाईट www.environment.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य स्तरीय पर्यावरण निर्धारण प्राधिकरण जिला जयपुर (राजस्थान) के पत्र संख्या F1(4)/SEIAA/SEAC-Raj/Sectt/Project/Cat.1(a)B2 (20167) 2019-20 Jaipur Date 06.05.2022 के द्वारा M/S HCH MINES AND MINER-ALS एम.एल. रेफरैन्स नं. 2021000038568 क्षेत्रफल 2.5119 हैक्टर खनिज मेसेनरी स्टोन निकट ग्राम भराला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के लिये पर्यावरण स्वीकृति प्रदान कर दी है। उपरोक्त स्वीकृति पत्र की प्रति राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल कार्यालय में जनसाधारण के देखने के लिए उपलब्ध है एवं राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल की वेबसाईट www.environment.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

बेदखली सूचना

मनके भंवरलाल आयु 48 वर्ष पुत्र संतुराम जाति खन्ना, निवासी वार्ड नम्बर 27 (नया) पुराना वाटर वर्क्स, खटिकों का मौहल्ला, कस्बा राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला चूरू (राज.) का हूं जो निम्न नोटिस के जरिये सर्वसाधारण को सूचित करता हूं यह कि मुझ शपथग्रहिता की पुत्रियां लक्ष्मी व ममता जो दोनों ही बालिग है तथा अपनी स्वतंत्र इच्छा से ही अपनी जिन्दगी जी रही है तथा दोनों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से ही शादियां जाति समाज से बाहर की है। मुझ शपथग्रहिता को कोई सूचना नहीं है। मेरी उक्त दोनों ही पुत्रियां परिवार माता-पिता से अलग अपनी जिंदगी जी रही है तथा मुझ शपथग्रहिता एवं मेरे परिवार से इनका कोई संबंध नहीं है तथा ना ही कोई आना-जाना है। मैं शपथग्रहिता घोषणा करता हूं कि मेरी उक्त पुत्रियां लक्ष्मी व ममता मेरे व मेरे परिवार के कहने में नहीं है तथा अपनी मनमर्जी से अपनी जिंदगी जी रही है। इसलिए मेरे द्वारा अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्तियां व सभी रिश्ते-नातों से मेरी उक्त दोनों पुत्रियों लक्ष्मी व ममता को बेदखल किया जाता है। भविष्य में उक्त दोनों पुत्रियों लक्ष्मी व ममता का मेरे व मेरे परिवार से कोई संबंध नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति यदि मेरी उक्त पुत्रियां लक्ष्मी व ममता से सम्पर्क करता है या लेन-देन करता है, तो स्वयं अपनी जिम्मेदारी से करें। मैं शपथग्रहिता व मेरे परिवारजन उक्त दोनों पुत्रियों लक्ष्मी व ममता के प्रति किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं रहेंगे। यह कि मैने उक्त दोनों पुत्रियों से व इनके पति व बच्चों से समस्त संबंध हमेशा के लिए समाप्त कर लिये है। सूचित करता हूं। सूचित रहें। **शपथ-पत्र नोटरी पब्लिक राजगढ़ दिनांक:-18.05.2022**

शपथग्रहिता-भंवरलाल

प्रशासन शहरों के संग अभियान में पालिकाध्यक्ष ने पट्टे बांटे

शहरी शिविर में पट्टा वितरण करते पालिकाध्यक्ष।

बीदासर, (निसं)। प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के द्वितीय चरण की कडी में गुरुवार को वार्ड नं. 29, 30 और 31 के शिविर का आयोजन नेक नगर स्थित अंबेडकर भवन में किया गया। अधिशाषी अधिकारी भगवान सिंह ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया व नगरपालिका की जन कल्याण योजनाओं के बारे में अवगत करवाया। पालिकाध्यक्ष सीताराम भोभरिया ने कैंप का निरीक्षण किया और सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए कि शिविर में ज्यादा से ज्यादा पट्टे संबंधी पत्रावलियों का निस्तारण करें।

पट्टा वितरण कार्यक्रम के दौरान पालिका अध्यक्ष सीताराम भोभरिया, उपाध्यक्ष शमेराज उल हसन छींपा, अधिशाषी अधिकारी भगवान सिंह, पालिका के कनिष्ठ अभियन्ता मुकेश कुमार और कनिष्ठ लेखाकार राजेंद्र सिंह पंवार, पार्षद सांवरमल सैन ने 69-क के 04 पट्टे, कृषि भूमि के 04, नामांतरण 02 और निर्माण स्वीकृति 04 वितरित की गई और 13 जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीयन का मौके पर निस्तारण किया गया। इस योजना मे आमजन को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके तहत वार्ड वार टैक्सी एवं अन्य संसाधनो से प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है। आयोजित कैम्प मे नगर पालिका के वरिष्ठ सहायक अखिलेश पारीक, भूमि शाखा प्रभारी राजेन्द्र सिंह, फायरमैन सौरभ भाटिया, छोटूराम, कनिष्ठ सहायक कमलेश चोटिया, संजू, श्यामा आदि उपस्थित रहे।

एबीवीपी की प्रांतीय समीक्षा योजना बैठक में एक करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य

दीप प्रज्वलित कर एबीवीपी ने कार्यक्रम की शुरूआत की।

चिड़ावा, (निसं)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत की समीक्षा योजना बैठक वेदांत इंटरनेशनल स्कूल चिडावा में हुई। जिसमें अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्र संगठन मंत्री अजय ठाकुर, प्रांत संगठन मंत्री अर्जुन तिवारी, प्रांत अध्यक्ष हेमंत महावर, प्रांत सह संगठन मंत्री उपमन्यु सिंह राणा, प्रान्त मंत्री शौर्य जैमन बतौर अतिथि मौजूद रहे। प्रांत भर से 60 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

एक करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य: इस समीक्षा योजना बैठक में दो दिवस में 9 सत्र के माध्यम से वर्ष भर की परिषद कार्यात्मक और संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की गई, वहीं आगामी वर्ष में होने वाले संगठनों गतिविधियों की योजना बनाई आगामी वर्ष में विद्यार्थी परिषद 75 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर संगठन का एक करोड सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया है।

15 हजार वृक्ष मित्र बनाएंगे:- एबीवीपी जयपुर प्रान्त में सदस्यता के माध्यम से 3 लाख सदस्य बनायेगा और डेढ लाख वृक्षारोपण करेगा। वृक्षारोपण कार्य के लिए 15 हजार वृक्ष मित्र बनाए जांएगे। इस वर्ष में विद्यार्थी परिषद नगर इकाई 175 व 1121 कॉलेज इकाई तथा 800 से अधिक विद्यालयों में इकाई गठित होगी।

विभिन्न समितियों का गठन: विद्यार्थी परिषद की प्रान्त स्तर की प्रान्त एकेडमिक काउंसिल समिति का गठन किया गया है जो इतिहास ,राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों कॉलेज में विद्यालय में चलने वाले पाठ्यक्रम का अध्ययन कर उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगी। राजस्थान की चरमराती हुई कानून व्यवस्था को लेकर आये दिन पेपर घोटाले को लेकर राजस्थान अपराध की श्रेणी में नंबर एक पर आ गया है इसी को लेकर आंदोलन किए जाएंगे। इसमें आंदोलन समिति का गठन भी किया गया है। छात्रसंघ चुनाव की समिति का गठन किया गया है व आयाम कार्य गतिविधि की समिति का गठन किया गया है। संगठन के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया है इसी को लेकर योजना बनाई गई है।

इस बैठक में संकल्प लिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन जल्द से जल्द राजस्थान के शिक्षण संस्थानों में लागू हो व पाठ्यक्रमों से भारत विरोधी अध्ययन सामग्री को हटाया जाए और जो भारत तथा राजस्थान के क्रांतिवीर जैसे पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप आदि को पढ़ाया जाए।

सड़क दुर्घटना में तीन घायल

नोखा, (निसं)। बुधवार देर रात हुई सड़क दुर्घटना में तीन व्यक्ति घायल हो गए। जिनको बीकानेर पीबीएम अस्पताल रैफर किया गया है। जानकारी के अनुसार माडिया गांव के पास नोखा की तरफ से तूड़ी (चारा) से भरी पिकअप व बाइक की टक्कर हो गई। दुर्घटना में बाइक पर सवार माडिया गांव निवासी कैलाश, दुर्गाराम, हेतराम मेघवाल घायल हो गए। घायल अवस्था में तीनों को बागड़ी अस्पताल लेकर आए।

लूट के आरोपियों से पूछताछ जारी

चिड़ावा, (निसं)। सुलताना क्षेत्र के पदमपुरा के पास फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 30 हजार रुपए की लूट के मामले में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को कोर्ट ने दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।

थानाधिकारी अनिल चौधरी ने बताया कि आरोपी अठवास निवासी राजकुमार उर्फ राजू, शांजासर फतेहपुर निवासी रविंद्र उर्फ बिटटू को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से दोनों आरोपियों को दो दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। जिससे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं वारदात के तीसरे आरोपी राहुल मीणा की तलाश कर रही है।

झुंझुनू में पुनर्वास अभियान की कमान न्यायाधीश सूद संभालेंगी

झुंझुनू, (का.सं.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झुंझुनूं द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशन में श्रमिकों के कल्याण एवं बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिये मई, 2022 में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान की कमान न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू दीक्षा सूद संभालेंगी।

अभियान में श्रमिको के कल्याण, बाल श्रमिकों के पुनर्वास एवं स्कूली शिक्षा से जोडने के क्रम में यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झुंझुनूं द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग के साथ मीटिंग कर श्रमिकों के कल्याण के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ईंट-भट्ठो, स्टोन क्रेषर, मनरेगा आदि स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों के कल्याण एवं उन्हें राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में श्रमिकों के संबंध में संचालित स्कीमों से जोडने हेतु टीम का गठन किया गया है। टीम में पुलिस विभाग, श्रम कल्याण विभाग, मनरेगा विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षक रोजगार केन्द्र प्रबंधक एन.जी.ओ. एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झुंझुनूं की ओर से पैनल अधिवक्ता सदस्य उपस्थित रहे। सभी सदस्य श्रम विभाग द्वारा प्रदान की गयी निरीक्षण स्थलों की सूची के अनुसार निरीक्षण करेंगी तथा निरीक्षण के दौरान टीम द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि सभी श्रमिक उन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हों जिनसे उनके मूल अधिकारों का हनन ना हो, ऐसे निरीक्षण स्थलों पर कोई बाल श्रमिक कार्यरत है अथवा नहीं यदि बाल श्रमिक कार्यरत है तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना, श्रमिकों हेतु सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्कीमों के तहत उन्हें लाभ प्रदान करने की कार्यवाही सुनिष्चित करें।

जांच अधिकारी केस डायरी सहित 23 मई को पेश हों: रालसा सचिव

- सीकर में एक ही मामले में अलग-अलग रिपोर्ट दिये जाने का मामला

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा सीकर जिले के बलात्कार अपहरण हत्या के प्रयास कर बेशकीमती ज़मीन हड़पने के मामले में पीड़ित प्रतिकर मुआवजे की मांग पर पुलिस के एक अन्वेषण अधिकारी द्वारा एक ही मामले में अलग-अलग रिपोर्ट दिए जाने पर वास्तविक वस्तुस्थिति तक पहुंचने के लिए जांच अधिकारी को केस डायरी के साथ 23 मई को तलब किया है।

सूत्रों के अनुसार सीकर जिले में बेशकीमती जमीन हड़पने के एक मामले में पुलिस की संदिग्धता और संलिप्तता को उजागर करते एक मामले में अगस्त 2018 में जांच अधिकारी ने करीब 12 लोगों के खिलाफ तुरंत गिरफ्तारी की अनुशंसा करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। उसी अन्वेषण अधिकारी ने 20 जुलाई को मामले को झूठा बताते हुए एफ आर पेश करते हुए सभी अभियुक्तों को उनके आरोपों से मुक्त करते हुए रींगस के एसीजेएम न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जो वर्तमान में आज तक लंबित है। एक ही मुकदमे में एक ही आई ओ द्वारा कुछ समय के अंतराल पर विभिन्न रिपोर्ट देना और पीड़िता को कोई न्याय नहीं मिलना पुलिस प्रणाली की संदिग्धता को उजागर करता है।

पीड़िता ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में उपस्थिति होकर अपने बलात्कार के तथ्यों की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों को पेश कर पीड़ित प्रतिकर मुआवजा राज्य सरकार से लेने की मांग की जो कि हर बलात्कार पीड़िता को राज्य सरकार की ओर से कंपनसेशन के रूप में पीड़िता को सम्मान रखते हुए नाम और पहचान को गुप्त रखते हुए उसके व्यक्तिगत खाते में सीधे पहुंचाया जाता है। पीड़िता ने अपने मुकदमे की स्थिति से रालसा के न्यायाधीशों को अवगत कराते हुए यथा स्थिति से अवगत कराया। रालसा ने सीकर एसपी को पत्र भेजकर संपूर्ण पत्रावली जयपुर रालसा कार्यालय में 23 मई को मय अनुसंधान अधिकारी केस डायरी सहित व्यक्तिश: उपस्थिति के साथ तलब किया है।

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/806-07 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-18.05.2022

श्री (1) घनश्याम ठठेरा पुत्र स्व. श्री बाबूलाल ठठेरा (2) श्रीमती शशी देवी पत्नी स्व. श्री राकेश कुमार निवासी वार्ड नं. 24 मोचियों का मोहल्ला नियर सरकारी अस्पताल श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार आवासीय प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/ गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.24 मोचियों का मोहल्ला नियर सरकारी अस्पताल श्रीमाधोपुर	चर्तु सीमाऐं निम्न प्रकार से है:-पूर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में प्रेमचन्द ठठेरा का मकान, उत्तर दिशा में नाथूलाल दर्जी का मकान व दक्षिण दिशा में कॉमन चौक अवस्थित है।	मकान आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब से पश्चिम 9 फुट व उत्तर से दक्षिण 19 फुट कुल क्षेत्रफल 19.00 वर्गगज या 15.88 वर्गमीटर हैं।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध मे कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 18.05.2022 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत इन्द्रपुरा, पं.स. चूरू

क्रमांक :- निर्माण/ई-निविदा/2022-23/19-24 दिनांकः- 18.05.2022

ई-निविदा सूचना संख्या 02/2022-23

इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत कार्य के लिए सक्षम श्रेणी के संवेदकों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित शर्तें एवं विवरण www.eproc.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर देखी एवं डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

NIB NO:- ZCR2223WSOB00221

(किशन सिंह) सरपंच ग्राम पंचायत इन्द्रपुरा

(नन्द सिंह) ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत इन्द्रपुरा

परस्पर सामंजस्य से कार्य कर आमजन को राहत दें अधिकारी: कलेक्टर सिहाग

कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने राजीव गांधी सेवा केंद्र में हुई जिला स्तरीय जन सुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

- जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने सुनीं आमजन की समस्याएं

चूरू, (कासं)। जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने गुरुवार को राजीव गांधी सेवा केंद्र में हुई जिला स्तरीय जन सुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। इस अवसर पर जिला कलक्टर ने आमजन की पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, श्रमिक कार्ड, सहकारिता, बैंकिंग, केसीसी और अतिक्रमण सहित विभिन्न मसलों से जुड़ी समस्यायें सुनकर अधिकारियों को इन समस्याओं के समुचित निस्तारण के आदेश दिये।

इस अवसर पर जिला कलक्टर सिहाग ने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए गंभीर है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक जन सुनवाई की व्यवस्था की गई है। अधिकारी बेहतर सेवाओं से यह सुनिश्चित करें कि आमजन को शिकायतों का अवसर ही नहीं मिलें। इसके बाद यदि किसी व्यक्ति की शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल समस्या का समुचित निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। भीषण गर्मी के मध्येनजर बिजली और पेयजल संबंधी समस्याओं पर फोकस करते हुए जिला कलक्टर ने अधिकारियों से कहा कि वे आपसी तालमेल से यह सुनिश्चित करें कि लोगों को पेयजल संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। स्वीकृत पेयजल स्त्रोतों को तत्काल शुरू करवायें और ड्रील किये गये स्त्रोतों पर तत्काल बिजली कनेक्शन दें। जरूरत के मुताबिक टैंकर से जलापूर्ति सुनिश्चित करें और टैंकर से जलापूर्ति में पारदर्शिता रहनी चाहिए।

अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतों पर उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि वे निष्पक्षता पूर्वक इस ढंग से कार्रवाई करें कि प्रशासन कि छवि और मजबूत हो। उन्होंने कहा कि किसानों को केसीसी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का समुचित लाभ मिलना चाहिये। इस अवसर पर उप जिला प्रमुख महेंद्र न्यौल, चूरू प्रधान दीपचंद राहड़, बीदासर प्रधान संतोष मेघवाल, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, डॉ. वासुदेव चावला, राकेश जांगिड़, महावीर पूनियां सहित जनप्रतिनिधियों एवं आमजन ने पेयजल, बिजली सहित विभिन्न मसलों पर ध्यानाकर्षण कर आमजन की समस्यायें बताई।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखा कार्यालय: चूरू, नर्बदा भवन, स्टेशन रोड़ चूरू जिला-चूरू-331001, मोबाईल नं.: 8875001902, फोन नं:- 01562-250353, ई-मेल: Churu@bankofbaroda.com

मांग सूचना-सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत

निम्नांकित ऋणियों एवं जमानतदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उन्होने बैंक से लिए गए ऋण की किश्तों एवं उसके ब्याज का समय पर भुगतान नहीं किया अतः उनका खाता एन.पी.ए. में वर्गीकृत हो गया हैं। बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत उनको बैंक रिकॉर्ड के अनुसार उनके अन्तिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किए गए थे जो कि उनके द्वारा प्राप्त नहीं किए जाने के फलस्वरूप पुनः लौट कर आ गए हैं। अतः उनको इस सामान्य नोटिस के द्वारा उक्त अधिनियम के तहत इस बारे में सूचित किया जाता है:

ऋणियों एवं जमानतदारों का नाम एवं पता	प्रतिभूत आस्तियों/ बंधक सम्पत्तियों का विवरण	नोटिस 13(2) की दिनांक	बकाया राशि (नोटिस 13(2) के अनुसार)
श्रीमती मंजू देवी सारस्वत पत्नी श्री जय प्रकाश 214, धर्म स्तूप के पास, वार्ड नं. 24, बिसाउ रोड़, चूरू, राजस्थान-331001 एवं वार्ड नं- 17, मुख्य रोड़, स्टेशन रोड़ चूरू, तहसील एवं जिला चूरू, राजस्थान **जमानतदार-श्रीमती ललिता देवी सारस्वत पत्नी श्री विजय कुमार सारस्वत एवं श्री विजय कुमार सारस्वत पुत्र श्री लाल चंद सारस्वत** शास्त्री मार्केट, वार्ड नं- 17, धर्म स्तूप के पास, चूरू-331001, राजस्थान	श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री जय प्रकाश के नाम साम्यिक बंधक व्यावसायिक भूमि एवं भवन जो वार्ड नं. 17, मुख्य रोड़, स्टेशन रोड़ चूरू, तहसील एवं जिला चूरू, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 170 वर्ग फीट है। **सीमाएं-** पूर्व: श्री बनवारी लाल चौटिया की दुकान, पश्चिम: श्री मणी राम जाट की दुकान 10 फीट, उत्तर: श्रीमती ललिता देवी की दुकान 17 फीट, दक्षिण: रास्ता (बन्द) 17 फीट	29.04.2022	दिनांक 29.04.2022 को बकाया राशि रू. 9,51,788.97 (रूपये नौ लाख इक्यावन हजार सात सौ अठासी एवं पैसे सतानवे मात्र) दिनांक 28.04.2022 तक ब्याज शामिल करते हुए एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे आदि।
	श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री जय प्रकाश के नाम साम्यिक बंधक व्यावसायिक भूमि एवं भवन जो भूतल, वार्ड नं- 17, मुख्य रोड़, स्टेशन रोड़ चूरू, तहसील एवं जिला चूरू, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 499.5 वर्ग फीट है। **सीमाएं-** पूर्व: श्री बनवारी लाल चौटिया की दुकान, पश्चिम: कम्पस जाने का रास्ता (8 फीट) 13 फीर 10 1/2 इंच, उत्तर: श्रीमती ललिता देवी की दुकान 17 फीट, दक्षिण: श्रीमती मंजू देवी की भूमि 36 फीट	**गैर निष्पादक आस्ति (एनपीए) दिनांक** 28.02.2022	

इस नोटिस के द्वारा उक्त ऋणियों / जमानतदारों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त उधारकर्ताओं/जमानतदारों को उक्त बकाया राशि इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से साठ(60) दिवस के भीतर पुनर्भुगान हेतु आगाह किया जाता है, अन्यथा साठ(60) दिवस की समाप्ति के पश्चात सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत वसूली कार्यवाही की जाएगी। ऋणियों/ जमानतदारों को यह भी सलाह दी जाती हैं कि वे बैंक के अधोहस्ताक्षरकर्ता / प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस पर 13(2) के अन्तर्गत जारी नोटिस की मूल प्रति प्राप्त कर लेवें।

कर्जदारों/जमानतदारों का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

स्थान: चूरू

दिनांक: 19.05.2022

हस्ता. प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ़ बड़ौदा